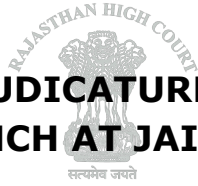


**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 203/2026

Santosh Agarwal S/o Ishwar Prasad Agarwal, Aged About 51 Years, R/o Vazirpur, Tehsil Gangapur City, District Sawai Madhopur, Rajasthan.

-----Accused-Petitioner

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Basant Kumar Sharma S/o Peetambar Sharma, Aged About 46 Years, R/o At Present Hal Tehsheeldar Wazirpur, Gangapur City, Rajasthan, Permanent Resident Of Sherpur Khilchipur, Vazirpur, District Sawai Madhopur, Rajasthan.

-----Complainant-Non-Petitioner

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajeev Kumar Sogarwal, Adv. Ms. Ayushi Choudhary, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP
For Complainant(s)	:	Mr. Rohit Sharma, Adv. Ms. Sameeksha, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

27/05/2026

- 1 याची-अभियुक्त की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- **153/2024** पुलिस थाना- **वजीरपुर**, जिला- गंगापुर सिटी(राज.), अपराध अंतर्गत धारा **420, 467, 468, 471 व 120बी भारतीय दण्ड संहिता** को रद्द एवं अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है, साथ ही **स्थगन प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत किया गया है।
- 2 दो सप्ताह की वापसी के साथ अयाचीगण को नोटिस जारी किए जावें, विद्वान लोक अभियोजक अयाची संख्या-01 की ओर से एवं अधिवक्ता श्री रोहित शर्मा अयाची संख्या-2 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।

- 3 विद्वान् अधिवक्ता याची-अभियुक्त का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में याची-अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है, उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 153/2024 में मिथ्या संलिप्त कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका यह भी कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में याची-अभियुक्त का नाम अंकित नहीं है, ना ही उसका कोई कृत्य बताया है, उनका यह भी कथन है कि याची-अभियुक्त के प्रकरण में विवादित किसी भी इकरारनामे/विक्रय पर हस्ताक्षर नहीं है। उनका कथन है कि उसे प्रकरण के अन्य सहअभियुक्तगण से फोन पर बातचीत होने के आधार पर प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया जा रहा है। याची-अभियुक्त अन्वेषण में भाग लेने व उसमें सहयोग करने के लिए तैयार एवं तत्पर है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण के अन्य सहअभियुक्तगण को समक्ष पीठ द्वारा अंतिम सुरक्षा प्रदान की गई है। अतः याची-अभियुक्त को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 153/2024 के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जावे।
- 4 विद्वान लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने संयुक्त रूप से याची-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अंतरिम सुरक्षा प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध करते हुए उसे अस्वीकार करने की प्रार्थना की।
- 5 मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।
- 6 हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता याची-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों आदि को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में आदेश दिया जाता है कि यदि याची-अभियुक्त दिनांक **11-06-2026** को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान कार्यवाही में भाग लेकर उसमें सहयोग करे तो उसके विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **153/2024** में दिनांक **11-06-2026** तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जावे। याची-अभियुक्त के अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर एवं अनुसंधान कार्यवाही में उपस्थित होकर सहयोग नहीं करने पर, उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अनुसंधान अधिकारी को अनुसंधान कार्यवाही के दौरान याची-अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अनुसंधान हेतु आवश्यकता

होने पर वह उसे, उसकी गिरफ्तारी से पूर्व, गिरफ्तारी के कारण को दर्शित करते हुए 15 दिवस पूर्व का नोटिस देगा।

7 प्रकरण 4 सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(BHUWAN GOYAL),J

22/NIKITA